[2019] 3 एस सी आर 234

अंतर्राष्ट्रीय आत्माएँ और वाइन संगठन

भारत

वी.

हरियाणा राज्य और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 9533)

फरवरी 12,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, नवीन सिन्हा और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970:

आर. 24 (i-EEEE) (संशोधित के रूप में)-विदेशी शराब के व्यापार के लिए L-1BF लाइसेंस-r। 24 (i-EEEE) के लिए एकल L-1BF लाइसेंस प्रदान करना पूरा राज्य आयातित विदेशी शराब का सौदा करेगा, जिसे भारत के बाहर बोतलबंद किया जाता है और बोतलबंद रूप में देश में आयात किया जाता है।

शराब की बिक्री, और उस बिक्री को लाइसेंस के अनुदान के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है, वित्तीय आयुक्त को लाइसेंस की संख्या निर्धारित करने की शक्ति निहित थी, यह भी अनुचित है अस्थिर-आबकारी आयुक्त द्वारा वित्तीय आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में अधिसूचित संशोधन स्वयं बाद के यू/एस की शक्तियों से परे था। 6 और 13 (ए) आर/डब्ल्यू एस। 58 (2) (ई)-जबकि राज्य सरकार के पास संख्या निर्धारित करने की शक्ति होगी।

केवल स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए, आबकारी आयुक्त के पास पूरे राज्य के लिए लाइसेंस की संख्या निर्धारित करने और लाइसेंस जारी करने की उच्च शक्ति होगी-पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914-एस। 8 , 6 , 13 (क) और 58 (2) (ङ)-हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम, 2017-शराब।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः नवीन सिन्हा, जे. (अपने और रंजन गोगोई के लिए,

सीजेआई):

1.1 पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 8 के तहत

राज्य सरकार सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करती है

234 भारत का अंतर्राष्ट्रीय आत्मा और वाइन संगठन v. हरियाणा राज्य

उत्पाद शुल्क प्रशासन और उत्पाद शुल्क अधिकारी। धारा 9 में वित्तीय आयुक्त की शक्तियों को उत्पाद शुल्क में निहित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा आयुक्त। इसलिए, वित्तीय आयुक्त केवल ऐसी शक्तियां आबकारी आयुक्त को सौंपने के लिए सक्षम है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं।

निषेध को देखते हुए अधिनियम के तहत पूर्व को प्रत्यायोजित कर सकते हैं

धारा 13 (ए) में निहित है। अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत, अकेले राज्य सरकार के पास संख्या को विनियमित करने की शक्ति है

लाइसेंस जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में थोक या खुदरा बिक्री के लिए दिए जा सकते हैं। अधिनियम की योजना में, हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 और पंजाब मादक पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि शराब का लाइसेंस केवल एक स्थानीय क्षेत्र के लिए दिया जाना है। स्थानीय क्षेत्र में किसी भी श्रेणी में दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है -

अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय आयुक्त को इस शक्ति का हस्तांतरण धारा 13 (ए) द्वारा निषिद्ध है। यह केवल सामान्य शक्ति के अनुरूप है

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए इकाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पूरा राज्य। राज्य सरकार धारा 5 और 6 से स्पष्ट पूरे राज्य के संबंध में इन अन्य शक्तियों का एकमात्र भंडार है। अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने की शक्ति कि दिया गया लाइसेंस पूरे राज्य पर लागू होगा, अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है। [पैरा 6,10,12] [245 बी, ई; 248-ए, ई] 1.2 उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के विपरीत, जो राज्य की शक्तियों को सीमित करती है।

सरकार स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस देगी, आबकारी विभाग

वित्तीय आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त धारा 59 (ए) के तहत पूरे राज्य के लिए एकल एल-1 बीएफ लाइसेंस देने में सक्षम थे। [पैरा 13] [248-एफ] 1.3 अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों की प्रकृति, यह स्पष्ट करती है कि यह केवल एक नियामक शक्ति उपलब्ध है

आपूर्ति, भंडारण, बिक्री या अन्यथा [2019] 3 एस. सी. आर. की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंसधारी को लाइसेंस दिए जाने के बाद ही।

अनुज्ञप्ति का पालन किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जा सकते हैं। [पैरा 14] [250-ई]

1.4 आबकारी आयुक्त, वित्तीय आयुक्त का एक उप-प्रतिनिधि, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 में संशोधन। इन्हें 29.03.2017 पर अधिसूचित किया गया था। इन नियमों को हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाता था। नियम 1 (2) में कहा गया है कि वे 01.04.2017 से लागू होंगे। संशोधन के नियम 3 ने नियम 24 (i-EEEE) को प्रतिस्थापित किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस होगा। पूरे राज्य के लिए जारी किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या के संबंध में संशोधन धारा 6 और 58 (2) (ई) के अंतर्गत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। धारा 13 (ए) द्वारा निषिद्ध। [पैरा 15] [250-एफ-एच]

1.5 उच्च न्यायालय द्वारा यह भेद करने की मांग की गई

अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द के संबंध में केवल छोटे सघन क्षेत्र तक सीमित होने के रूप में और यह कि

आपूर्ति को विनियमित करने की शक्ति के आधार पर वित्तीय आयुक्त,

किसी भी मादक पदार्थ के भंडारण या बिक्री में किसी विशेष श्रेणी में पूरे राज्य के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति थी, जो न केवल अनुचित है, बल्कि सांविधिक योजना और उसके प्रावधानों के अनुसार भी है। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि शराब की बिक्री को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 59 (ए) के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्ति, और उस बिक्री को लाइसेंस के अनुदान के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है, वित्तीय आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्तियां निहित थीं: लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करना, न केवल अनुचित है बल्कि अस्थिर भी है। इस तरह की व्याख्या कानून में शब्दों को पढ़ने के बराबर है जो स्वयं विधायिका का कभी इरादा नहीं था। आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित संशोधन

वित्त आयुक्त का प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के साथ पठित धारा 6 और 13 (ए) के तहत वित्त आयुक्त की शक्तियों से परे था। उच्च न्यायालय द्वारा तर्क में अनुचितता और विसंगति व्यापक शक्तियों को निहित करेगी

स्वयं राज्य सरकार की तुलना में आबकारी आयुक्त। जबकि राज्य सरकार के पास लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने और केवल स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति होगी, आबकारी आयुक्त के पास भारत की अंतर्राष्ट्रीय आत्माओं और वाइन एसोसिएशन को निर्धारित करने की अधिक शक्ति होगी।

हरियाणा राज्य

पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या और लाइसेंस जारी करना। [पैरा 16] [251-ए-ई]

1.6 वित्तीय आयुक्त सक्षम नहीं था

पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या के अनुदान के संबंध में नियमों में संशोधन करें, और कौन सी शक्ति अधिनियम की धारा 13 (ए) और 58 (2) (ई) के साथ पठित धारा 6 के तहत राज्य सरकार के लिए अनन्य थी। वित्तीय अधिनियम द्वारा संशोधित नियम 24 (i-EEEE) अधिनियम की धारा 59 (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला आयुक्त अधिनियम के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से परे है और इसलिए उसे निरस्त कर दिया जाता है। [पैरा 18] [251-एच; 252-ए बी]

कर्नाटक राज्य (I) (1995) 1 एस. सी. सी. 574: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 477; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। की स्थिति कर्नाटक (द्वितीय) (1996) 10 एस. सी. सी. 304: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 759; एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स v. भारत संघ (2005) 1 एससीसी 679: [2004] 6 पूरक। एससीआर 496; दीपक थिएटर बनाम। पंजाब राज्य (1992) पूरक 1 एस. सी. सी.

684 : [1991] 3 पूरक। एस. सी. आर. 242 संदर्भित है। प्रति के. एम. जोसेफ, जे. (असहमति):

1.1 अधिसूचना के संदर्भ में स्पष्ट रूप से धारा 59 के तहत वित्त आयुक्त को निहित करने की शक्तियां यह हैं कि उत्पाद शुल्क आयुक्त ने नियम बनाए हैं "हरियाणा शराब लाइसेंस"

नियम 1970। धारा 13 अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय आयुक्त या आयुक्त पर धारा 58 के तहत शक्ति के प्रत्यर्पण को मना करती है। [पैरा 9] [258-एच; 259-ए]

थोक या खुदरा परमिट और पास; उन इलाकों को विनियमित करने के लिए जिनके लिए थोक या खुदरा लाइसेंस, परमिट या पास हैं। अनुमति दी जा सकती है, और उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को विनियमित करने के लिए जिन्हें थोक या खुदरा लाइसेंस के माध्यम से लाइसेंस, परमिट या पास दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर धारा 58 (2) (ई) का उत्तरार्ध भी सरकार को नियमों द्वारा विनियमित करने की अनुमति देता है, ऐसे लाइसेंसों की संख्या जो [2019] 3 एस. सी. आर. हो सकती है।

किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रदान किया गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह उन लाइसेंसों के संबंध में है जिन्हें संदर्भित किया जाता है, चाहे वह थोक हो या खुदरा

प्रावधान में पहले उल्लेख किया गया है जिसे विनियमित किया जा सकता है लेकिन किसी भी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित है। इसके विपरीत और धारा 59 में धारा 58 का तुरंत पालन करते हुए, विधायिका ने वित्तीय आयुक्त को अन्य बातों के साथ-साथ विनियमन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार दिया है

धारा 58 (2) (ई) में 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द का कोई अर्थ नहीं है और वास्तव में यह के स्पष्ट अर्थ के लिए पूर्ण हिंसा करना शामिल होगा

"स्थानीय क्षेत्र" शब्द। यह सच हो सकता है कि पूरे हिस्से में हिस्सा शामिल हो सकता है (मैक्सिम-से माइनस में ऑम्ने माजस कॉन्टिनेट) लेकिन इसके विपरीत भाग में पूरा हिस्सा शामिल होगा जो अच्छा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, धारा 58 (2) (ई) में उपयोग की गई "स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति इस धारणा को व्यक्त करती प्रतीत होती है कि विधायिका का इरादा राज्य को उन लाइसेंसों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करना है जिन्हें किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए दिया जाना है। वास्तव में, हरियाणा राज्य द्वारा दी गई लिखित प्रस्तुति में, एक निश्चित मामला स्थापित किया गया है कि राज्य अपने विवेक से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विशेष परिस्थितियों के कारण एक विशेष स्थानीय क्षेत्र को शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाया जाना चाहिए। जनजातीय उप-योजना क्षेत्र का एक उदाहरण है -

जहाँ राज्य एक विशेष कार्यक्रम चला रहा हो, वहाँ सूचीबद्ध किया जाता है।

इस दृष्टिकोण को 1970 के नियमों के नियम 3 के रूप में एक अन्य परिस्थिति से भी समर्थन मिलता है। [पैरा 13] [260-सी-एफ]

1.4 नियम 3 इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि अभिव्यक्ति "संख्या" है।

स्थानीय क्षेत्र में दिए जाने वाले लाइसेंस राज्य सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन पर निर्भरता रखी जाती है।

अपीलार्थी द्वारा धारा 58 (2) (ई) में दिए गए अनुज्ञापत्रों की संख्या पर आक्षेपित नियम पर प्रहार करने के लिए, जो अन्यथा धारा 59 के तहत स्रोत है, बिना किसी आधार के है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम और नियम दोनों को देखते हुए, पूरे राज्य और स्थानीय क्षेत्र के बीच अंतर किया जाता है। नियम बनाने की शक्ति के संबंध में, निस्संदेह, विधायिका ने विशेष रूप से राज्य को किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंसों की संख्या के अनुसार नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है।

जब तक यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय आत्मा और वाइन संगठन v. हरियाणा राज्य

धारा 59 के अर्थ के भीतर शराब की बिक्री को विनियमित करने की शक्तियों, जो निस्संदेह वित्तीय आयुक्त के कंधों पर रखी गई हैं, में नियम बनाने की शक्ति शामिल नहीं होगी। समग्र रूप से राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या के संबंध में, अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 14] [261-ए सी]

1.5 'विनियमन' शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें अधिनियम के तहत शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की शक्ति शामिल होगी।

बिक्री का नियंत्रण लाइसेंस प्रदान करके संभव है क्योंकि यह लाइसेंस के माध्यम से है कि प्राधिकरण उन शर्तों के लिए प्रदान कर सकता है जिनके तहत बिक्री को सबसे अच्छा नियंत्रित किया जा सकता है। यदि विनियमन की शक्ति में लाइसेंस निर्धारित करने की शक्ति शामिल है तो इसमें निस्संदेह शामिल होंगेः

पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या प्रदान करने की शक्ति, जो अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत नहीं आती है। [पैरा

17] [262 - जी-एच]

1.6 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह निष्कर्ष कि वित्तीय आयुक्त के पास इस पर निर्णय लेने की शक्ति है

लाइसेंसों की संख्या को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 20] [263-डी-ई]

1.7 अपीलार्थी कम्पनियों का एक संघ है। अनुच्छेद 19 विभिन्न मौलिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है। हालांकि, इसके विपरीत

अनुच्छेद 14 और 21, ये स्वतंत्रताएँ गैर-नागरिकों को प्रदान नहीं की गई हैं। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19 नागरिकों तक ही सीमित है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कंपनी हालांकि एक न्यायिक व्यक्ति है, लेकिन एक स्वाभाविक व्यक्ति नहीं है, अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर नागरिक नहीं है। रिट याचिका किसी भी नागरिक शेयरधारक के साथ शामिल हुए बिना दायर की जाती है। इसलिए अनुच्छेद 19 पर निर्भरता अच्छी नहीं हो सकती है। नीति की न्यायिक समीक्षा केवल तभी उचित है जब नीति मनमाना या अनुचित या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हो। न्यायालयों को राज्य की नीति के मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने से घृणा होनी चाहिए। [पारस 24,25] [266 एच; 267-ए-सी]

1.8 राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 14 की गारंटी

निस्संदेह अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यदि कार्रवाई अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन करती है तो यह असुरक्षित है, हालांकि अलग-अलग मापदंड काम कर सकते हैं। निस्संदेह 'राज्य' अभिव्यक्ति में राज्य की एक साधनता भी शामिल होगी क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकरण' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। सिद्धांतों को पर्याप्त स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है और कोई अवसर या कोई कारण नहीं है [2019] 3 एस. सी. आर.

उसी पर अधिक ध्यान देने के लिए जैसे कि अपीलार्थी के पास यह मामला भी नहीं है कि लाइसेंसधारी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य का एक साधन होगा। अनुच्छेद 12 के भीतर एक निकाय लाने का प्रयास विशेष रूप से उत्पन्न होना चाहिए

अभिवचन, जो अनुपस्थित है। [पारस 28,29] [270-ए-सी] 1.9 यह देखा गया है कि अपीलार्थी की कई दलीलें आशंकाओं के रूप में हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है।

वास्तव में उत्तरदाताओं के लिए एक मामला है कि कोई शिकायत नहीं है

इस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया था। अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के तहत ब्रांड के अनुमोदन के समय प्रत्येक ब्रांड का मूल्य प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। विभाग विभिन्न तत्वों में अधिकतम बिक्री मूल्य फैक्टरिंग को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। लाइसेंसधारक को अन्य बातों के अलावा, उतरने की कीमत, खर्च, लाभ मार्जिन का उल्लेख करना चाहिए। पड़ोसी राज्यों में समान और समकक्ष दर की प्रचलित दरों और सरकारी शुल्कों के आधार पर भी कीमत निर्धारित की जाती है। [पैरा 31] [270-जी-एच; 271-ए]

लाइसेंसधारियों और ऐसे सभी ब्रांडों की खरीद करना जो 2016-17 में विभाग के साथ पंजीकृत थे। इस प्रकार, कम से कम दो प्रतिबंध मौजूद हैं जैसा कि निर्मित सुरक्षा उपायों में है जो अनन्य लाइसेंसधारी के खिलाफ काम करते हैं। लाइसेंसधारी उन सभी ब्रांडों का पर्याप्त संख्या में भंडार रखने के लिए बाध्य है जिनकी खरीद लाइसेंसधारियों द्वारा मांग की जाती है। तत्काल मामले में, अपीलार्थी के सदस्य 'खरीद लाइसेंसधारी' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अधिकतम मूल्य का एक विनियमन है जिसकी मांग अनन्य लाइसेंसधारी कर सकता है।

क्योंकि कीमत राज्य द्वारा ही तय की जानी है। इस संबंध में एक सवाल कि क्या होगा यदि विशेष लाइसेंसधारी स्वयं भी

खुदरा दुकानों का संचालन करता है और वह कुछ ब्रांडों को बढ़ावा देता है और/या दूसरों में व्यापार को कम करता है। आम तौर पर इस सिद्धांत पर कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के हित में कार्य करेगा, लाइसेंसधारक के लिए खुद को उच्चतर की आय से इनकार करने का कोई कारण नहीं होगा। अधिक बिक्री के आधार पर कारोबार क्योंकि कुछ ब्रांडों की बिक्री को कम करने की कोशिश करने से लाइसेंसधारी को नुकसान होगा। हालाँकि, यह माना जाता है कि उसे ऐसी स्थिति में रखा गया है जहाँ हितों का टकराव है और कुछ ब्रांडों की बिक्री को दबाने और अन्य ब्रांडों की बिक्री की अनुमति देने से अनन्य लाइसेंसधारी भारत का अंतर्राष्ट्रीय आत्मा और शराब संगठन है।

उचित मामलों में लाइसेंस रद्द करने सहित कानून में उपलब्ध उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के साथ सत्ता में वृद्धि। यदि ऐसे प्रावधान पहले से नहीं हैं तो यह देखा जाएगा कि राज्य उपयुक्त प्रावधान तैयार कर सकता है ताकि एक व्यक्ति जो राज्य के लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करता है, वह ऐसा न करे जो राज्य को स्वयं करने से मना किया जाएगा। संविधान। साथ ही, राज्य को नई व्यवस्था द्वारा राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है। आर्थिक मामलों में प्रयोग करने की राज्य की शक्ति न्यायालय के हाथों अमान्य नहीं होगी। इस तरह की शक्ति पूरी तरह से राज्य की कार्रवाई पर आधारित होनी चाहिए

संविधान और कानून। हालाँकि, राज्य को एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करना अच्छा होगा जिसके द्वारा वह उचित व्यवस्था प्रदान कर सके।

सुरक्षा उपाय ताकि अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा उचित व्यवहार किया जा सके। [271 - बी-एच; 272-ए]

डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य (1986) पूरक। एस. सी. सी. 20 [1986] एस. सी. आर. 479; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य (1996) 10

एस. सी. सी. 304 [1995] 6 पूरक। एससीआर 759; खोडे

डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य (I) (1995) 1 एस. सी. सी. 574: [1994] 4 पूरक। एससीआर 477; मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम। भारत संघ और

अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 679: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 496; कृष्ण कुमार नरूला बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 1368; कूवरजी बी. भरुचा बनाम। आबकारी आयुक्त और मुख्य आयुक्त, अजमेर और

अन्य ए. आई. आर 1954 एस. सी. 220: [1954] एससीआर 873-संदर्भित

को।

[20

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

नवीन सिन्हा के निर्णय में, जे।

[1963] पूरक। एससीआर 691

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर 477

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 759

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[2004] 6 पूरक। एससीआर 496

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[1991] 3 पूरक। एससीआर 242

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

के. एम. के निर्णय में

जोसेफ, जे।

[1986] एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1995] 6 पूरक। एससीआर 759

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर 477

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2004] 6 पूरक। एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2015] एससीआर 256

पै

रा 25

प्रतिष्ठित

आकाशवाणी 1957 एससी 1368

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1954] एससीआर 873

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9533

2018 से।

उच्च न्यायालय के 26.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 6870 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशीष गुप्ता, आदित्य मुखर्जी,

अनिरुद्ध लेखी, रविंदर निझावन, एस. एस. श्रॉफ, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., सुश्री निधि गुप्ता, ए. ए. जी., सुमित तेतरवाल,

विश्व पाल सिंह, संजय सिंह, एम. के. दत्ता, उग्र शंकर प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

नवीन सिन्हा, जे. 1. अपीलार्थी असफल रहा है

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 (हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम 2017 द्वारा संशोधित) के नियम 24 (यानी) को पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधिकार से बाहर होने के रूप में चुनौती देते हुए इस अदालत के समक्ष अपील की जा रही है। संशोधित नियम में आयातित विदेशी शराब, बोतलबंद अंतर्राष्ट्रीय आत्माओं और भारत के वाइन एसोसिएशन से निपटने के लिए पूरे राज्य के लिए एकल एल-1 बीएफ लाइसेंस का प्रावधान है।

भारत के बाहर और बोतलबंद रूप में देश में आयात किया जाता है (यानी मूल रूप में बोतलबंद)। चुनौती के तहत राज्य उत्पाद शुल्क का खंड 9.5.2 भी है।

उस सीमा तक वर्ष 2017-2018 के लिए नीति, वर्ष 2018-2019 तक भी आगे बढ़ाई गई। संशोधित नियम के तहत एकल लाइसेंस देने की प्रक्रिया ई-बोली द्वारा निविदा के माध्यम से है, जिसमें आरक्षित मूल्य है

रु. 50 करोड़। 2. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा एकाधिकार का निर्माण

निजी संस्था द्वारा शराब का व्यापार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के विपरीत है। विवादित आदेश स्वीकार करता है कि यह बाजार में गंभीर विकृतियों का कारण बनेगा, फिर भी गलती से हस्तक्षेप को यह मानते हुए अस्वीकार कर देता है कि एक बार मामला राज्य के नियंत्रण से निजी उद्यम के हाथों में चला जाता है, तो राज्य पर लागू प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। रिलायंस को अकादमी पधन बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1047 पर यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि यदि राज्य द्वारा उसके पक्ष में एकाधिकार बनाया जाता है, तो इसकी संवैधानिक रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि उसके अनुसार नियुक्त निजी एजेंट स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। श्री सुब्रमण्यम ने खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री सुब्रमण्यम पर भी भरोसा किया। की स्थिति कर्नाटक (आई), (1995) 1 एस. सी. सी. 574, यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक बार राज्य शराब के व्यापार के अपने विशेषाधिकार के साथ, निजी व्यक्तियों के पक्ष में, अनुच्छेद 14 की कठोरता सभी इच्छुक लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए लागू होती रहेगी। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन की अनुपस्थिति एकमात्र लाइसेंसधारी को अनियंत्रित और अप्रमाणित शक्तियां देती है जो फिर से संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। श्री सुब्रमण्यम ने आगे खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री सुब्रमण्यम पर भरोसा किया। कर्नाटक राज्य (II) (1996) 10 एस. सी. सी. 304, यह प्रस्तुत करने के लिए कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) और 59 (ए) की व्याख्या त्रुटिपूर्ण थी। नियम 24 (i-EEEE) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या राज्य सरकार की तुलना में वित्तीय आयुक्त को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। एकल एकाधिकारवादी एल-1 बीएफ लाइसेंस भी भेदभावपूर्ण था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था क्योंकि राज्य में भारतीय निर्मित विदेशी शराब या देशी शराब के थोक व्यापार के लिए ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी। लाइसेंसधारियों के बीच इस अंतर के लिए कोई तर्कसंगत या उचित वर्गीकरण नहीं था, जिसका किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई तर्क या संबंध था।

3. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद ने कहा कि अपीलार्थी ने कभी भी एल के लिए बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

1 बी. एफ. लाइसेंस। केवल एक आशंका है कि [2019] 3 एस. सी. आर. के लिए एकल एल-1 बी. एफ. लाइसेंस।

पूरा राज्य बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, जब वास्तविकता अन्यथा थी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि होती है, अपीलार्थी द्वारा रखी गई चुनौती को नकारता है। एक निजी संस्था के हाथों में एकाधिकार का मुद्दा योग्यता से रहित है क्योंकि प्रक्रिया सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से होती है, जो सभी की भागीदारी के लिए खुली होती है, और किसी विशेष व्यक्ति के अनुरूप नहीं होती है या दुर्भावना से सक्रिय नहीं होती है, जो एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ (2005) 1 पर निर्भर करती है।

एससीसी 679। मूल बोतलबंद विदेशी शराब का व्यापार राज्य में पूरे शराब व्यापार का केवल एक अंश था, जो 0.64 प्रतिशत से 1.98 प्रतिशत के बीच था। संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, चोरी पर अंकुश लगाना, भारतीय निर्मित विदेशी शराब और मूल बोतलबंद विदेशी शराब में बोतलबंद अवैध व्यापार को नियंत्रित करना था। वित्तीय

4. श्री एम. के. दत्ता, 2017-2018 के लिए एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी बोली लगाने वाला भी नहीं था। इसकी ओर से किसी भी तरह की आशंका का सवाल ही नहीं उठता है। उत्पाद शुल्क लाइसेंस में पर्याप्त नियंत्रण और शेष राशि प्रदान की जाती है - रद्द करना भी यदि लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के एजेंट के रूप में एकाधिकार लाइसेंस का अनुदान

शराब के व्यापार के लिए कानून में अनुमति थी।

5. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। अपीलार्थी संशोधित नियम 24 (i-EEEE) पर आरोप लगाता है क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों से परे है। इस मुद्दे का अभिन्न अंग यह है कि क्या राज्य सरकार

अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत अकेले स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी करने में सक्षम है, जबकि आबकारी आयुक्त, वित्तीय आयुक्त का एक उप-प्रतिनिधि, संशोधित नियम के तहत पूरे राज्य के लिए एल-1 बीएफ लाइसेंस जारी करने के लिए धारा 59 (ए) के साथ पठित धारा 13 (बी) के तहत सक्षम है, राज्य सरकार द्वारा धारा 58 के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए धारा 13 (ए) में निषेध के बावजूद। विवाद से संबंधित संशोधित नियम 24 (आई. ई. ई. ई. ई.) इस प्रकार हैः

" (xiv) खंड (i-EEEE) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः -

(i-EEEE) L-1BF-TERNASTIONAL SPIRITS AND WINESS ASSOCIANAION OF India के रूप में लाइसेंस के लिए v. हरियाणा राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

(क) आरक्षित मूल्य Rs.50,00,00,000/- होगा।

(ख) एल-1 बीएफ प्रपत्र में लाइसेंस ई-बोली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

सबसे अधिक बोली लगाने वाले को।

(ग) राज्य में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस होगा।

6. अधिनियम की धारा 8 के तहत, राज्य सरकार उत्पाद शुल्क प्रशासन और उत्पाद शुल्क का पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण करती है

ers. धारा 9 वित्तीय शक्तियों को निहित करने का प्रावधान करती है।

राज्य सरकार द्वारा आबकारी आयुक्त में निशीक्षक। 13 में शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रावधान हैं:

(क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय आयुक्त या आयुक्तों को अपनी सभी या कोई भी शक्ति सौंप सकती है। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की धारा 14,21,22,31,56 और 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय आयुक्त, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिनिधि मंडल भेजने की अनुमति दे सकती है। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या उस समय लागू किसी अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क राजस्व के संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ।

इसलिए वित्तीय आयुक्त प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम है।

आबकारी आयुक्त को ऐसी शक्तियाँ जो राज्य को

अधिनियम की धारा 13 (ए) में निहित विभाजन को ध्यान में रखते हुए, राज्य अधिनियम के तहत पूर्व को प्रत्यायोजित कर सकता है।

7. अधिनियम की धारा 58 अपने प्रासंगिक उद्धरण में इस प्रकार है:

" नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति:

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है: (ङ) उस अवधि और इलाकों को विनियमित करना जिसके लिए, और व्यक्तियों या वर्गों के लिए, जिन्हें [2019] 3 एस. सी. आर. के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए गए हैं।

थोक या खुदरा रूप से किसी भी मादक पदार्थ का विक्रय किया जा सकता है और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित किया जा सकता है जिन्हें दिया जा सकता है।

किसी भी स्थानीय क्षेत्र में;

(3) नियमों का पिछला प्रकाशनः - नियम बनाने की इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम

पिछले प्रकाशन के बाद किया गया;

बशर्ते कि ऐसे कोई भी नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाए जा सकते हैं यदि राज्य सरकार मानती है कि उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत, अकेले राज्य सरकार को लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने की शक्ति है जिन्हें दिया जा सकता है।

थोक या खुदरा बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र।

8. चर्चा के लिए प्रासंगिक नियम 3 और 4 भी हैं जो निम्नता प्रदान करते हैंः

" 3. इन नियमों द्वारा लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए दिया गया अधिकार, प्रत्येक मामले में, पंजाब मादक पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश में निहित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें उन इलाकों के बारे में जिसमें लाइसेंस दिए जा सकते हैं और लाइसेंसों की संख्या जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं, और वित्तीय आयुक्त के सामान्य अधीक्षण से इस तरह के आरक्षण के लिए

राज्य सरकार पंजाब उत्पाद शुल्क की धारा 8 के तहत अधिसूचित कर सकती है।

अधिनियम, 1914।

4. प्रत्येक अनुज्ञप्ति किसी विशेष अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में दी जाएगी। विशेष परिसर/क्षेत्र का "।

9. पंजाब मादक पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश के अध्याय डी, (इसके बाद 'आदेश' के रूप में संदर्भित) सी. ई. एस. की संख्या प्रदान करता है और निम्नानुसार पढ़ता हैः

" 6. जनता को विदेशी शराब की थोक और खुदरा बिक्री के लिए एल 2 फॉर्म में लाइसेंस प्राप्त दुकानों को छोड़कर शराब की दुकानों की संख्या

केवल और दवा की दुकानें, जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त हों, वह संख्या होगी जिसे वित्तीय आयुक्त, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, आवश्यक समझता है। एल-2 वेंड्स की संख्या, जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं, कलेक्टर द्वारा दिए गए ऐसे लाइसेंसों की संख्या होगी।

10. अधिनियम की योजना में, नियम और आदेश को एक साथ पढ़ा जाता है कि शराब का लाइसेंस केवल एक स्थानीय क्षेत्र के लिए दिया जाना है। स्थानीय क्षेत्र में दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है।अधिनियम की धारा 58 (2) (ई)। सरकार द्वारा वित्तीय आयुक्त को इस शक्ति का प्रत्यर्पण धारा द्वारा निषिद्ध है।

) . यह केवल सामान्य शक्ति के अनुरूप है

धारा 8 के तहत राज्य सरकार में निहित इरादा।

11. खोडे डिस्टिलरीज बनाम कर्नाटक राज्य (II) (ऊपर) में, ए

कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम 1965 के तहत प्रावधान के लिए गिर गया

उसमें अपभ्रंशः

" 71 (1) : राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है -

(ङ) उन अवधियों और इलाकों को विनियमित करना जिसमें और उन व्यक्तियों या वर्गों को जिन्हें थोक या खुदरा के लिए लाइसेंस दिया जाता है। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित किया जा सकता है जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैंः

(च)।

(जी)।

(ज) उस प्राधिकारी को विहित करना जिसके द्वारा वह प्रपत्र और नियम और शर्तें जिन पर और जिनके अधीन कोई लाइसेंस या परमिट दिया जाएगा, और ऐसे नियमों द्वारा, अन्य मामलों के साथ-साथ।

इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 11. ..... अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि लाइसेंसों की संख्या को राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है। यदि राज्य यह प्रावधान करके लाइसेंसों को विनियमित करने का विकल्प चुनता है कि लाइसेंस केवल एक कंपनी को दिया जाएगा। राज्य के स्वामित्व में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा लाइसेंस कुछ ऐसा है जो अधिनियम या अधिनियम के तहत राज्य के नियम बनाने वाले प्राधिकरण के दायरे से बाहर है।

12. अधिनियम लाइसेंस प्रदान करने के लिए इकाई के रूप में एक स्थानीय क्षेत्र और अन्य उद्देश्यों के लिए पूरे राज्य के बीच एक स्पष्ट अंतर रखता है। राज्य सरकार पूरे राज्य के संबंध में इन अन्य शक्तियों का एकमात्र भंडार है जो धारा 5 और 6 से स्पष्ट हैः

" 5. राज्य सरकार द्वारा बिक्री की सीमा घोषित करने की शक्ति

खुदरा और थोक द्वारा-राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचना या तो पूरे पंजाब या उसमें शामिल किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, और खरीदारों के संबंध में आम तौर पर या खरीदारों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के संबंध में, और आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए, किसी भी मादक पदार्थ की अधिकतम या न्यूनतम मात्रा या दोनों की घोषणा करती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

खुदरा और थोक द्वारा बेचा जाता है। 6. अधिसूचनाओं, परमिटों आदि के आवेदन को सीमित करने की शक्ति।

इस अधिनियम के तहत किया गया-जहां इस अधिनियम के तहत कोई अधिसूचना जारी की जाती है, कोई शक्ति प्रदान की जाती है, कोई नियुक्ति या कोई लाइसेंस दिया जाता है,

पारित या परमिट दिए जाने पर, यह निर्देश देना विधिसम्मत होगा -

(क) कि यह पूरे पंजाब या किसी विनिर्दिष्ट राज्य पर लागू होगा।

स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्र;

XXXX "

अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने की शक्ति कि दिया गया लाइसेंस पूरे राज्य पर लागू होगा, विशेष रूप से राज्य में निहित है।

अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत सरकार।

13. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के विपरीत, जो स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस देने की राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, आबकारी आयुक्त, वित्तीय आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में, धारा 59 (ए) के तहत पूरे राज्य के लिए एकल एल-1 बीएफ लाइसेंस देने के लिए सक्षम था।

" 59. नियम बनाने के लिए वित्तीय आयुक्त की शक्तियाँः वित्तीय आयुक्त अधिसूचना द्वारा नियम बना सकता है -

(क) किसी भी वस्तु के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री को विनियमित करना।

मादक पदार्थ, सहित

((i) ऐसी वस्तु के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री के लिए किसी भी स्थान का चरित्र, निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण और भारत का क्षेत्रीय आत्मा और वाइन संगठन।

रखरखाव के लिए फिटिंग, उपकरण, उपकरण और रजिस्टर

उसमें;

((ii) भांग के पौधे की खेती और इस तरह के पौधे की सहज वृद्धि का संग्रह और इसकी तैयारी।

किसी भी मादक दवा;

((iii) किसी भी तारि उत्पाद से तारि का दोहन या ड्राइंग करना।

पेड़;

) बिक्री के उद्देश्यों के लिए शराब की बॉटलिंग को विनियमित करना;

गोदाम में किसी भी मादक पदार्थ के जमा को विनियमित करना और

किसी भी गोदाम या गोदाम से किसी भी मादक पदार्थ को हटाना।

किसी भी आसवन या शराब की भट्ठी;

किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास के संबंध में या उसके संबंध में देय शुल्क का पैमाना या शुल्क तय करने का तरीका निर्धारित करना

किसी भी मादक पदार्थ के भंडारण का;

) किसी भी शुल्क के भुगतान के समय, स्थान और तरीके को विनियमित करना।

या शुल्क; प्राधिकरण को उन प्रतिबंधों और शर्तों द्वारा निर्धारित करना जिन पर कोई लाइसेंस, परमिट या पास दिया जा सकता है,

निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधानों सहित

((i) किसी भी मादक पदार्थ के साथ मिश्रण का निषेध।

हानिकारक या आपत्तिजनक माना जाने वाला पदार्थ;

((ii) किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त निर्माता या अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता द्वारा शराब को कम करने का विनियमन या निषेध।

कम ताकत;

((iii) वह बल जिस पर मादक पदार्थ बेचा जाएगा, आपूर्ति की जाएगी या

कब्ज़ा किया;

(iii-a) उस कीमत का निर्धारण जिससे नीचे और ऊपर किसी भी मादक पदार्थ को लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा बेचा या आपूर्ति नहीं किया जाएगा।

((iv) नकद को छोड़कर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध;

(v) उन दिनों और घंटों का निर्धारण जिसके दौरान किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को खुला रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, और

विशेष अवसरों पर ऐसे परिसर;

(vi) उस परिसर की प्रकृति का विनिर्देशन जिसमें [2019] 3 एस. सी. आर.

किसी भी मादक पदार्थ को बेचा जा सकता है, और नोटिस पर उजागर किया जा सकता है

इस तरह के परिसर;

(vii) रखे जाने वाले खातों का प्रपत्र और विवरणी

लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना; और

(viii) लाइसेंसों के हस्तांतरण का निषेध या विनियमन;

(छ) (i) उस प्रक्रिया की घोषणा करना जिसके द्वारा आत्मा को विकृत किया जाएगा;

((ii) अभिकरण के माध्यम से आत्मा को विकृत करने के लिए या

अपने स्वयं के अधिकारियों की देखरेख में;

((ग) यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसी आत्मा को विकृत किया गया है;

(ज) किसी भी मादक पदार्थ के विनाश या अन्य निपटान के लिए प्रावधान करना।

उपयोग के लिए अयोग्य माना जाता है;
((i) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान को विनियमित करना;

(जे) पट्टा, लाइसेंस, परमिट या पास धारकों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि निर्धारित करना।

उसी की शर्तें "।

14. अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों की प्रकृति, यह स्पष्ट करती है कि यह केवल एक नियामक शक्ति है जो एक

आपूर्ति, भंडारण, बिक्री या अन्यथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जाता है, स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंसधारी को लाइसेंस दिया जाता है और

15. आबकारी आयुक्त, वित्तीय आयुक्त का एक उप-प्रतिनिधि, धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार के उत्पाद शुल्क और कराधान अधिसूचना दिनांक 1 के आधार पर अधिनियम ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 में विवादित संशोधन किया। इन्हें 29.03.2017 पर अधिसूचित किया गया था। इन नियमों को हरियाणा शराब लाइसेंस कहा जाता था।

(संशोधन) नियम, 2017। नियम 1 (2) में कहा गया है कि वे 01.04.2017 से लागू होंगे। संशोधन के नियम 3 ने नियम 24 (i-EEEE) को प्रतिस्थापित किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस होगा। पूरे राज्य के लिए जारी किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या के

संबंध में संशोधन धारा 6 और 58 (2) (ई) के तहत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 13 (ए) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य सरकार की तुलना में उत्पाद शुल्क आयुक्त को व्यापक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। जबकि राज्य सरकार के पास शक्ति होगी लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने और केवल स्थानीय क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए, आबकारी आयुक्त के पास पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने और लाइसेंस जारी करने की उच्च शक्ति होगी।

17. एक नियामक शक्ति का अर्थ और दायरा गिर गया

दीपक थिएटर बनाम पंजाब राज्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 684,

" 4. विनियमित करने की शक्ति में प्रतिबंध लगाने की शक्ति शामिल है, जो मौजूदा नियमों के तहत व्यापार या व्यवसाय के अधिकार से जुड़े सभी आकस्मिक मामलों पर सीमाओं और प्रतिबंधों को शामिल करती है। लाइसेंस। नियम 12 (3) सिनेमा में विभिन्न वर्गों के प्रवेश को विनियमित करता है।

हॉल और यह राज्य की नियम बनाने की शक्ति के भीतर था सरकार इस तरह के नियम बनाए। अदालत ने आगे कहा कि आम जनता के हित में प्रवेश की दर की सीमा तय करना एक पूर्ण आवश्यकता थी और इस तरह लगाया गया प्रतिबंध उचित था

और जनहित में।

18. इसलिए वित्तीय आयुक्त इसके लिए सक्षम नहीं था

पूरे राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या प्रदान करने के संबंध में नियमों में संशोधन करें, और कौन सी शक्ति केवल राज्य सरकार के लिए थी अधिनियम की धारा 13 (ए) और 58 (2) (ई) के साथ पठित धारा 6 के तहत।

9] 3 एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्कर्ष में, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 59 (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आयुक्त द्वारा संशोधित नियम 24 (यानी) अधिनियम के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से परे है और इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया है। नियम 24 (i-EEEE) के निरस्त होने के कारण, उठाए गए चुनौती के अन्य आधारों पर चर्चा या विचार करना आवश्यक नहीं माना जाता है।

19. अपील की अनुमति है।

के. एम. जोसेफ, जे. 1. उच्चतम सम्मान के बावजूद भाई न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा द्वारा लिखे गए फैसले को पढ़ने के बाद मैं

उनके लिए, मैं उस मुद्दे पर निष्कर्ष के समर्थन में दिए गए तर्क को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं जिसे उनके द्वारा निपटाया गया है। और परिणामी निर्णय।

2. अपीलार्थी 2017 की रिट याचिका No.6870 में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता है जिसका निर्णय इसके साथ लिया गया था

एक और रिट याचिका। अपीलार्थी कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है। यह भारत में व्यापार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय शराब और शराब कंपनियों का एक प्रतिनिधि निकाय होने का दावा करता है। 06.03.2017 पर, हरियाणा राज्य के लिए उत्पाद शुल्क नीति 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए घोषित की गई। खंड 9.5.1 के तहत, आयातित विदेशी शराब के लिए एल-1 बीएफ के रूप में एक थोक लाइसेंस

(बी. आई. ओ) निर्धारित किया गया था। लाइसेंसधारी आई. एफ. एल. (बी. आई. ओ.) आयात करने के लिए अधिकृत था।

इसमें अन्य देशों से बीयर शामिल है और राज्य के एल-1 एस, एल-4 और एल-5 एस, एल-12 सी और एल-12 जी को इसकी आपूर्ति की जाती है। हालांकि, खंड 9.5.12 में प्रावधान किया गया है कि राज्य में एल-1 बीएफ के रूप में केवल एक थोक लाइसेंस होगा। यह विचार किया गया कि लाइसेंस का निपटान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-निविदाओं द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से किया जाना था। आरक्षित मूल्य Rs.50 करोड़ निर्धारित किया गया था। एल-1 बीएफ के लिए सामान्य शर्तों के प्रावधानों के तहत यह निम्नानुसार प्रदान किया गया थाः

पड़ोसी राज्य और सरकार शुल्क लगाती हैं। लाइसेंसधारी करेगा ऐसा अधिमानतः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में करें।

3. मूल रूप से खंड 9.5.1.2 को चुनौती दी गई थी। तीसरे प्रत्यर्थी को विशेष लाइसेंसधारी के रूप में नियुक्त किया गया था और घोषणा की गई थी कि नियुक्ति अमान्य थी।

जबकि रिट याचिका लंबित थी, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया v. हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

हरियाणा शराब लाइसेंस (संशोधन) नियम, 2017 पेश किया गया था। नियम 01.4.2017 पर लागू हुए। इसके बाद अपीलार्थी

संशोधित नियमों द्वारा प्रस्तुत 1970 के नियमों के नियम 24 (i-eeee) को चुनौती दी गई। उक्त नियम इस प्रकार हैः

" 3. उक्त नियमों में, नियम 24 में, -

(xiv) खंड (i-EEEE) के लिए, निम्नलिखित खंड होगा -

(क) आरक्षित मूल्य रु। 50,00,00,000 / (ख) एल-1 बीएफ प्रपत्र में लाइसेंस ई-बोली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

सबसे अधिक बोली लगाने वाले को

(ख) राज्य में केवल एक एल-1 बीएफ लाइसेंस होगा। (घ) यदि एकमात्र एल-1 बीएफ लाइसेंस के लिए आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक कोई योग्य बोली प्राप्त नहीं होती है, तो उसे विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को इन शर्तों पर आवंटित किया जाएगा और

सरकार द्वारा तय की गई शर्तें। शराब के स्टॉक की खरीद के लिए परमिट और ब्रांड लेबल शुल्क निम्नानुसार लगाया जाएगा। एल-1 बीएफ लाइसेंसधारी "।

4. वह आधार जो उच्च न्यायालय की खंड पीठ को राजी करने में विफल रहा, लेकिन जिसे मेरे विद्वानों ने स्वीकार कर लिया

भाई सिन्हा जे. का कहना है कि विवादित नियम अधिकार से परे है, सत्ता की शक्ति है।

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 59 के तहत वित्त आयुक्त (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अपीलार्थी का तर्क है कि लाइसेंसों की संख्या के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है और यह कहा जाता है कि शक्ति वित्त आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 59 के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में हड़पी गई है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, सवाल यह होगा कि क्या धारा 58 के तहत शक्ति राज्य सरकार के पास निहित है या अधिनियम की धारा 59 के तहत वित्तीय आयुक्त के पास है। यह स्वाभाविक है कि मैंने अधिनियम की धारा 58 और 59 के प्रावधानों को निर्धारित किया है।

" 58. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित समय लागू है।

(2) विशेष रूप से और सामान्य रूप से पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है: -

(ख) धारा 13, खंड (ख) के तहत वित्तीय आयुक्त, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किसी भी शक्ति के प्रत्यायोजन को विनियमित करना; (ग) प्रस्तुत करने का समय और तरीका और आबकारी अधिकारियों के आदेशों से अपीलों से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित करना;

(घ) किसी भी मादक या उत्पाद शुल्क बोतल के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे को विनियमित करना और ऐसी बोतल के किसी भी प्रकार के विवरण के हस्तांतरण, मूल्य या उपयोग को विनियमित करना। (ङ) उस अवधि और स्थानों को विनियमित करना जिसके लिए, और उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों को, जिन्हें थोक या किसी मादक पदार्थ के खुदरा व्यापार के लिए लाइसेंस, परमिट और पास दिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करना जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जा सकते हैं;

(च) पालन की जाने वाली प्रक्रिया और किए जाने वाले मामलों को निर्धारित करना।

परिसर में उपभोग के लिए शराब की खुदरा दुकान के लिए कोई लाइसेंस दिए जाने से पहले इसका पता लगाया जाता है;

(ज) गवाहों को दूर से बुलाने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करना; (I) इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों को गवाहों को व्यय अनुदान और मुआवजे को विनियमित करना और बाद में रिहा करना, आरोपमुक्त करना या बरी करना।

(जे) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लाइसेंस धारक द्वारा किसी भी व्यवसाय में उसकी सहायता के लिए रोजगार के निषेध के लिए।

क्षमता जो भी हो;

(के) किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर में या उसके पास शराब, जुआ और अव्यवस्थित आचरण की रोकथाम के लिए और ऐसे परिसर में बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों की बैठक या शेष के लिए; भारत की प्रादेशिक आत्माएं और शराब संगठन v.

हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों या जनता को आम तौर पर अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने या उकसाने के लिए किसी भी विज्ञापन या अन्य विषय के उपयोग की प्रशंसा करने या अनुरोध करने या किसी भी मादक पदार्थ की पेशकश करने वाले किसी भी विज्ञापन या अन्य विषय को छापने, प्रकाशित करने या अन्यथा प्रदर्शित करने या वितरित करने पर प्रतिबंध लगाना।

किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन या टालना, या किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास की शर्तों के तहत प्राप्त करनाः

(एम) राज्य के भीतर राज्य के बाहर मुद्रित और प्रकाशित किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रक, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन के प्रसार, वितरण या बिक्री को प्रतिबंधित करना जिसमें कोई विज्ञापन शामिल हो। या खंड (1) में वर्णित प्रकृति का पदार्थ;

(एन) किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रक, पुस्तिका या अन्य की घोषणा करना। [खंड (1) में वर्णित प्रकृति का] कोई विज्ञापन या सामग्री वाला प्रकाशन, जहां कहीं भी मुद्रित या प्रकाशित हो, राज्य सरकार को ज़ब्त किया जाना; और

(0) आम तौर पर निषेध की नीति को लागू करना। (3) नियमों का पिछला प्रकाशन-नियम बनाने की इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पिछले प्रकाशन के बाद बनाए जाएँ।

बशर्ते कि ऐसे कोई भी नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाए जा सकते हैं यदि राज्य सरकार मानती है कि उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

59. नियम बनाने के लिए वित्तीय आयुक्त की शक्तियाँ-वित्तीय आयोग अधिसूचना द्वारा नियम बना सकता है।

(क) किसी भी मादक पदार्थ के निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं:

(i) ऐसी वस्तु के निर्माण, आपूर्ति भंडारण या बिक्री के लिए किसी भी स्थान का चरित्र, निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण और रखरखाव के लिए फिटिंग, उपकरण और रजिस्टर

उसमें;

((ii) भांग के पौधे की खेती और ऐसे पौधे की सहज वृद्धि का संग्रह और किसी भी पौधे की तैयारी। मादक पदार्थ।

(iii) किसी भी टारी उत्पाद से टारी के चित्र का दोहन

पेड़।

) बिक्री के उद्देश्यों के लिए शराब की बॉटलिंग को विनियमित करना।

गोदाम में किसी भी मादक पदार्थ के जमा को विनियमित करना और

किसी भी गोदाम या गोदाम से किसी भी मादक पदार्थ को हटाना।

कोई आसवन या शराब बनाने की दुकान।

किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास के संबंध में या किसी भी मादक पदार्थ के भंडारण के संबंध में देय शुल्क का पैमाना या देय शुल्क तय करने का तरीका निर्धारित करना;

किसी भी शुल्क के भुगतान के समय, स्थान और तरीके को विनियमित करना।

या शुल्क;

ओ द्वारा प्राधिकरण को निर्धारित करना, जिसके तहत प्रतिबंध हैं, और जिन शर्तों पर कोई लाइसेंस, परमिट या पास दिया जा सकता है

निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान सहितः - (i) हानिकारक या आपत्तिजनक माने जाने वाले किसी भी मादक पदार्थ के साथ मिश्रण का निषेध;

((ii) एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता या लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा शराब को कम करने का विनियमन या निषेध

कम ताकत;

(iii) [वह बल जिस पर मादक पदार्थ बेचा जाएगा], आपूर्ति या

कब्जे में;

(iii-a) उस कीमत का निर्धारण जिससे नीचे और ऊपर किसी भी मादक पदार्थ को लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा बेचा या आपूर्ति नहीं किया जाएगा; ((iv) नकद को छोड़कर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध;

(v) उन दिनों और घंटों का निर्धारण जिसके दौरान किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को खुला रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, और

विशेष अवसरों पर ऐसे परिसर; (vi) उस परिसर की प्रकृति का विनिर्देशन जिसमें कोई भी मादक पदार्थ एकमात्र हो सकता है, और जिस स्थान पर इसका खुलासा किया जाना है।

इस तरह के परिसर;

(vii) रखे जाने वाले खातों का प्रपत्र और वापसी

लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना; तथा

(viii) लाइसेंसों के हस्तांतरण का निषेध या विनियमन; भारत की स्थायी आत्माएं और शराब संगठन v.

हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(छ-i) उस प्रक्रिया की घोषणा करना जिसके द्वारा आत्मा को विकृत किया जाएगा;

((ii) एजेंसी के माध्यम से आत्माओं को विकृत करने के लिए या

अपने स्वयं के अधिकारियों की देखरेख में;

(iii) एजेंसी के माध्यम से आत्माओं को विकृत करने के लिए या

अपने स्वयं के अधिकारियों की देखरेख में;

(ज) किसी भी मादक पदार्थ के विनाश या अन्य निपटान के लिए प्रावधान करना।

उपयोग के लिए अयोग्य माना जाता है;

((i) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान को विनियमित करना; (जे) धारकों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि निर्धारित करना।

निष्पादन के लिए पट्टों, लाइसेंसों, परमिटों या पासों का

समान परिस्थितियाँ "।

5. अपीलार्थी का मामला निहित प्रावधानों के आसपास बनाया गया है।

अधिनियम की धारा 58 (2) (ई)।

6. पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 का राज्य में विस्तार किया गया

एना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

उक्त अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार है:

" 5. खुदरा बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति

और थोक द्वारा। -

[राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में घोषणा कर सकती है।

या तो पूरे [हरियाणा] या शामिल किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए

उसमें, और सामान्य रूप से या किसी निर्दिष्ट वर्ग के खरीदारों के संबंध में

खरीदारों का, और आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए,

अधिकतम या न्यूनतम मात्रा या दोनों [मादक पदार्थ] जो

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुदरा और थोक द्वारा बेचा जा सकता है। " 9

(जोर दिया गया)

"कोई भी स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति उक्त वैधानिक में विशिष्ट है।

सायन पूरे हरियाणा से अलग है। यह ध्यान देने योग्य है कि5 पर राज्य की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित नहीं है। वास्तव में, अधिकतम और न्यूनतम मात्रा या किसी भी मादक पदार्थ 1 दोनों को खुदरा और थोक द्वारा बेचा जा सकता है। इसी तरह, धारा 6 (ए)

इस प्रकार हैः

" 6. अधिसूचनाओं, परमिटों के आवेदन को सीमित करने की शक्ति,

आदि, इस अधिनियम के तहत किए गए-जहां इस अधिनियम के तहत कोई अधिसूचना [2019] 3 एस. सी. आर.

कोई भी शक्ति प्रदान की जाती है, कोई भी नियुक्ति की जाती है या कोई भी दिया गया लाइसेंस, पास या परमिट, यह निर्देश देना विधिसम्मत होगा -

(क) कि यह पूरे [हरियाणा] या किसी भी राज्य पर लागू होगा।

निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्र;

(बी)।

(ग).. .....

(डी)।

(जोर दिया गया)

समान रूप से धारा 6 भी नियम बनाने की शक्ति से संबंधित नहीं है। 7. यह स्पष्ट है कि विधायिका ने एक अंतर बनाए रखा है

पूरा और एक हिस्सा और हिस्सा वही है जो इसमें कैद किया गया है

ssion "स्थानीय क्षेत्र"। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार है -

बनाम ः

" 8. आबकारी प्रशासन का अधीक्षण और नियंत्रण और आबकारी अधिकारी। -

(क) [राज्य] सरकार के नियंत्रण के अधीन और जब तक कि

[राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश देगी,

सभी मामलों का सामान्य अधीक्षण और प्रशासन उत्पाद शुल्क से संबंधित वित्तीय आयुक्त के पास निहित होगा।

(बी)।

(ग) "।

(जोर दिया गया)

8. उक्त अधिनियम की धारा 9 में उत्पाद शुल्क की नियुक्ति का प्रावधान है।

निसनर और यह इस प्रकार हैः

अधिसूचना एक आबकारी आयुक्त की नियुक्ति करती है, और, इस तरह के अधीन शर्तें और प्रतिबंध जो उसे उचित लगें, उसके साथ निवेश कर सकते हैं

वित्तीय आयुक्त को प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियाँ

इस अधिनियम द्वारा "।

9. अधिसूचना के संदर्भ में वित्त की निहित शक्तियाँ

मिशनरी जाहिरा तौर पर धारा 59 के तहत यह है कि उत्पाद शुल्कनिशनर ने "हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970" नियम बनाए हैं।

भारत की प्रादेशिक आत्माएँ और वाइन एसोसिएशन v. हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

निस्संदेह यह सच है कि धारा 13 के तहत सत्ता के प्रत्यर्पण की मनाही है।

58 अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय आयुक्त या आयुक्त पर। 34 अध्याय VI के अंतर्गत आता है और प्रासंगिक है। वह इस प्रकार हैः

परमिट और पास। - (1) इस अधिनियम के तहत दिए गए प्रत्येक लाइसेंस, परमिट या पास

दिया गया, -

(क) इस तरह के शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो;

(ग) ऐसे रूप में और ऐसे विवरणों को शामिल करते हुए; ((घ) ऐसी अवधि के लिए;

जैसा कि वित्तीय आयुक्त निर्देशित कर सकता है।

(2) .....

(3) .....

10. धारा 35 बिक्री के लिए लाइसेंस देने के बारे में बात करती है। उप-खंड

उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 35. (1) बिक्री के लिए लिन्केंस का अनुदान। - बनाए गए नियमों के अधीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा

इस अधिनियम में, कलेक्टर किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

[मादक] अपने जिले के भीतर। "

(जोर दिया गया)

11. धारा 58 पर आते हुए निस्संदेह हमारे सामने क्या दबाव डाला गया है।

ई-अपीलार्थी धारा 58 (2) (ई) में निहित एक विशिष्ट प्रावधान है। उक्त उपखंड के नीचे, मेरे विचार में निम्नलिखित प्रस्तुत करता हैः

तालिका परिणाम। राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है।

1) लाइसेंस, परमिट और पास की अवधि को विनियमित करना।

थोक या खुदरा;

2) उन इलाकों को विनियमित करना जिनके लिए थोक या खुदरा लाइसेंस,

परमिट या पास दिए जा सकते हैं।

3) उन व्यक्तियों या वर्गों को विनियमित करना जिनके लिए

लाइसेंस, परमिट या पास या तो एक के माध्यम से दिए जा सकते हैं

थोक या खुदरा लाइसेंस; 3 एस. सी. आर.

12. दूसरी ओर धारा 58 (2) (ई) का उत्तरार्द्ध भी सरकार को नियमों द्वारा ऐसे लाइसेंसों की संख्या को विनियमित करने की अनुमति देता है।

जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह उन लाइसेंसों के संबंध में है जिन्हें संदर्भित किया जाता है, चाहे वह थोक हो या खुदरा प्रावधान में पहले उल्लेख किया गया है जिसे विनियमित किया जा सकता है लेकिन किसी भी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित है। इसके विपरीत और धारा 59 में धारा 58 का तुरंत पालन करते हुए, विधायिका ने वित्तीय आयुक्त को अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री या किसी भी मादक पदार्थ को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार दिया है।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में विशेष रूप से "स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति पर विचार किया है।

1995 (1) एस. सी. सी. 351 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक फैसले को स्वीकार करते हुए। "स्थानीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति को योजनाबद्ध रूप से नियोजित किया गया है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इसका मतलब निश्चित रूप से पूरे राज्य से नहीं हो सकता। किसी भी

अन्य व्याख्या धारा 58 (2) (ई) में 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द को अर्थहीन बना देगी और वास्तव में, इसमें 'स्थानीय क्षेत्र' शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए पूर्ण हिंसा करना शामिल होगा। यह सच हो सकता है कि पूरे हिस्से में हिस्सा शामिल हो सकता है (इस संबंध में से माइनस में ब्रूम लीगल मैक्सिम्स ऑम्ने माजुस कॉन्टिनेट में उक्ति देखें) लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके विपरीत भाग में पूरा हिस्सा शामिल होगा जो अच्छा हो सकता है। इस प्रकार, धारा 58 (2) (ई) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "स्थानीय क्षेत्र" इस धारणा को व्यक्त करती प्रतीत होती है कि विधायिका का उद्देश्य उन्हें शक्ति प्रदान करना है।

राज्य उन लाइसेंसों की संख्या पर प्रतिबंध लगाएगा जिन्हें किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए दिया जाना है। वास्तव में, हरियाणा राज्य द्वारा दी गई लिखित प्रस्तुति में, एक निश्चित मामला स्थापित किया गया है कि राज्य अपने विवेक से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विशेष परिस्थितियों के कारण एक विशेष स्थानीय क्षेत्र को शराब के सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाया जाना चाहिए। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का एक उदाहरण सूचीबद्ध किया गया है जहाँ राज्य हो सकता है

एक विशेष कार्यक्रम पर ले जाना। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण को हरियाणा शराब के नियम 3 के रूप में एक अन्य परिस्थिति से भी समर्थन मिलता है। अनुज्ञप्ति नियम, 1970। उक्त नियम इस प्रकार हैः

" 3. लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए इन नियमों द्वारा दिया गया अधिकार

प्रत्येक मामले में, पंजाब में निहित प्रतिबंधों के अधीन है।

जिन इलाकों में लाइसेंस दिए जा सकते हैं और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या के बारे में मादक पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश और वित्तीय आयुक्त के सामान्य अधीक्षण से ऐसे आरक्षण के लिए जो राज्य सरकार पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित कर सकती है।

1914 .

(जोर दिया गया)

14. इस प्रकार, उक्त नियम इस विचार को पुष्ट करता है कि "अनुज्ञप्ति की संख्या" जो स्थानीय क्षेत्र में दी जा सकती है, वह राज्य सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है और अपीलार्थी द्वारा दिए गए अनुज्ञप्ति की संख्या पर निर्भरता जो धारा 58 (2) (ई) में विवादित नियम पर प्रहार करने के लिए दी जा सकती है, जो अन्यथा धारा 59 के तहत स्रोत है, बिना किसी आधार के है। दूसरे शब्दों में दोनों से गुजरना

अधिनियम और नियमों में, पूरे राज्य और स्थानीय क्षेत्र के बीच अंतर किया जाता है। नियम बनाने की शक्ति के संबंध में, निस्संदेह, विधायिका ने विशेष रूप से राज्य को किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंसों की संख्या के अनुसार नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। जब तक यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि धारा 59 के अर्थ के भीतर शराब की बिक्री को विनियमित करने की शक्तियां, जो निस्संदेह वित्तीय आयुक्त के कंधों पर रखी गई हैं, में समग्र रूप से राज्य के लिए लाइसेंसों की संख्या के संबंध में नियम बनाने की शक्ति शामिल नहीं होगी, अपीलार्थी का तर्क विफल होना चाहिए।

15. वास्तव में 'विनियमन' शब्द पर डी. के. त्रिवेदी और सन्स बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा विचार किया गया। गुजरात राज्य

1986 (पूरक।) एससीसी 20. यह मामला खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत उठाया गया था। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 30. इसे ध्यान में रखते हुए, अब हम धारा 15 (1) द्वारा राज्य सरकारों को प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति की प्रकृति की जांच करने की ओर रुख करते हैं। हालांकि धारा 14 के तहत, धारा 13 उन धाराओं में से एक है जो छोटे खनिजों पर लागू नहीं होती है, धारा 13 (1) की भाषा धारा 15 (1) की भाषा के साथ समान है। इनमें से प्रत्येक प्रावधान "विनियमन" के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, थर्ड एडिशन, "रेगुलेट" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "नियंत्रित करना, शासन करना,

या नियम या विनियमों द्वारा निर्देशित; मार्गदर्शन के अधीन या

प्रतिबंध; परिस्थितियों या परिवेश के अनुकूल होना। इस प्रकार, धारा 13 (1) और 15 (1) द्वारा दिए गए नियमों द्वारा विनियमित करने की शक्ति नियमों द्वारा अनुदान को नियंत्रित करने, शासित करने और निर्देशित करने की शक्ति है।

धारा 15 (1) के मामले में उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए और इस तरह के अनुदान को प्रतिबंधों के अधीन करना और उन्हें [2019] 3 एस. सी. आर. के अनुकूल बनाना।

मामले की परिस्थितियाँ और संदर्भ के साथ आसपास जिसकी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखना उचित है कि

धारा 13 (1) और 15 (1) द्वारा प्रदत्त विनियमन की शक्ति है -

उन उप-धाराओं में लेकिन "संबंधित उद्देश्यों" के संबंध में भी है इसके साथ ", अर्थात, ऐसे अनुदान से जुड़े उद्देश्य।"

16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि खान और खनिज की धारा 13

(विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, जिस पर न्यायालय ने अन्य बातों के साथ विचार किया था, निम्नानुसार हैः

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, विनियमन के लिए नियम बनाएँ-संभावित लाइसेंसों का अनुदान

और खनिजों के संबंध में और उद्देश्यों के लिए खनन पट्टे

इसके साथ जुड़ा हुआ है।

(2) विशेष रूप से, और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं निम्नलिखित मामले, अर्थात्ः

*

*

((i) नियत किराया जुर्माना, शुल्क या अन्य शुल्कों का निर्धारण और संग्रह।

और रॉयल्टी का संग्रह -

(i) संभावित लाइसेंस,

((ii) खनन पट्टे,

((ग) खनन, उत्खनन, उत्खनन या एकत्र किए गए खनिज;

*

*

*

(आर) कोई अन्य मामला जो इसके तहत निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

यह अधिनियम "।

17. हालाँकि, शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए

' विनियमन 'में अधिनियम के तहत शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की शक्ति शामिल होगी। बिक्री का नियंत्रण लाइसेंस प्रदान करके संभव है क्योंकि यह लाइसेंस के माध्यम से है कि प्राधिकरण उन शर्तों के लिए प्रदान कर सकता है जिनके तहत बिक्री को सबसे अच्छा नियंत्रित किया जा सकता है। यदि विनियमित करने की शक्ति में लाइसेंस निर्धारित करने की शक्ति शामिल है तो इसमें निस्संदेह राज्य को समग्र रूप से कई लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति भी शामिल होगी-एक ऐसा मामला जो मैंने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के तहत नहीं आता है।

304 , यह मुद्दा कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 के तहत उठा। निस्संदेह, इसमें एक प्रावधान है जो कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 में पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 58 (2) (ई) के समान है जिसे उक्त निर्णय के पैरा 8 में निकाला गया है। यह मामला वास्तव में वितरक लाइसेंस से संबंधित है न कि थोक या खुदरा लाइसेंस से, जिसके बारे में प्रावधान बोलता है। 19. अदालत उस विशिष्ट प्रश्न पर विचार नहीं कर रही थी जो हमारे सामने रखा गया है जैसा कि फैसले से स्पष्ट है। मैं वास्तव में चला गया हूँ

कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम के माध्यम से और मैंने पाया कि जबकि धारा 71 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 59 के समान कोई प्रावधान नहीं है जो किसी को भी अधिकार प्रदान करता है।

जिस मामले में संभवतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता था कि धारा 71 की उप-धारा (2) किसी भी तरह से अधिनियम के उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकार के लिए धारा 71 (1) की सामान्य शक्ति की चौड़ाई को कम कर देगी।

20. ऐसी परिस्थितियों में, मैं सम्मानपूर्वक बहुमत के दृष्टिकोण से असहमत रहूंगा जैसा कि मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा के फैसले में व्यक्त किया गया है। मैं उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ के निष्कर्ष की पुष्टि करूंगा कि वित्तीय आयुक्त के पास लाइसेंसों की संख्या पर निर्णय लेने की शक्ति है। 21. एकमात्र मुद्दे के निष्कर्ष के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त करने के बाद जिसे बहुमत के फैसले में निपटाया गया है I

अनिवार्य रूप से अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दो अन्य दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि यह नियम एकाधिकार के निर्माण की ओर ले जाता है और जो वास्तव में आपत्तिजनक है, वह एक निजी पक्ष के पक्ष में है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अंतर्निहित गारंटी के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने भी इस तर्क को खारिज कर दिया है। यह खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर था और

अन्य; 1995 (1) एस. सी. सी. 574 जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 22. कुवरजी बी. भरुचा बनाम। आबकारी आयुक्त और मुख्य आयुक्त ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 220, जहां 1915 के आबकारी विनियमन I के अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार, पाँच विद्वान न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य बातों के अलावा यह अभिनिर्धारित किया किः

(क) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए,

अनुच्छेद 19 (6) द्वारा परिकल्पित, व्यवसाय की प्रकृति और उस व्यापार में प्रचलित स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक व्यापार से व्यापार में भिन्न होंगे और सभी व्यापारों के संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के पास ऐसे व्यापारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो अवैध या अनैतिक हैं या जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हैं। हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार या महिलाओं की तस्करी को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को निषेध लागू करने के रूप में अवैध नहीं माना जा सकता है और

केवल एक नियम नहीं। इसलिए, प्रतिबंधों की तर्कसंगतता तय करने में व्यवसाय की प्रकृति एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक नागरिक का किसी भी वैध व्यापार या व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अधिकार स्पष्ट रूप से ऐसी उचित शर्तों के अधीन है जो देश के शासी प्राधिकरण द्वारा समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शांति, व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक मानी जा सकती हैं। कुछ

उनके पीछा में किए गए शोर से व्यवसाय, कुछ उनके द्वारा उत्पन्न गंध से, और कुछ उनके साथ आने वाले खतरों से, उस स्थान के बारे में विनियमन की आवश्यकता होती है जिसमें वे संचालित किए जा सकते हैं। कुछ, उपयोग की गई वस्तुओं के खतरनाक चरित्र के कारण,

निर्मित या बेचे जाने के लिए, उन्हें उपयोग करने, निर्माण करने या बेचने की अनुमति देने वाले पक्षों में विशेष योग्यता की भी आवश्यकता होती है। न्यायालय में

यह संबंध पी. क्राउली बनाम में फील्ड, जे. की टिप्पणियों को संदर्भित करता है। हेनरी क्रिस्टेंसन; 34 एल ईडी 620: 137 यू. एस. 86 (1890) जिसका एक हिस्सा इस प्रकार हैः

" इसलिए इस तरह से ऐसी शराब की बिक्री को हर समय प्रत्येक राज्य की अदालतों द्वारा विधायी विनियमन का उचित विषय माना जाता रहा है। ..... उस रूप में उनकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो सकती है। यह सार्वजनिक औचित्य और सार्वजनिक नैतिकता का सवाल है न कि संघीय कानून का। राज्य की पुलिस शक्ति व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है ताकि इसकी बुराइयों को कम किया जा सके या इसे पूरी तरह से दबाया जा सके। इस प्रकार खुदरा रूप से मादक शराब बेचने का किसी नागरिक में कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है; यह राज्य के नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक का विशेषाधिकार नहीं है। चूँकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जोखिम है समुदाय, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, या ऐसी शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है जो इसकी अधिकतम सीमा तक सीमित होगी।

बुराइयाँ।

..... यह केवल विधायी इच्छा का मामला है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय आत्मा और वाइन संगठन v. हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(ख) व्यवसाय से उन्मूलन और बहिष्करण में निहित है

शराब व्यवसाय की प्रकृति और इसे लागू करना शायद ही उचित होगा

पर। कानून के प्रावधानों पर केवल हमला नहीं किया जा सकता है इस आधार पर कि वे एकाधिकार बनाते हैं। ठीक से बोलते हुए, वहाँ कर सकते हैं

एकाधिकार तभी हो जब कोई ऐसा व्यापार हो जिसे सभी द्वारा चलाया जा सके व्यक्तियों को कानून द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों को बहिष्कृत करने के लिए सौंपा जाता है

आम जनता से। लेकिन ऐसा नहीं है कि

शराब का व्यवसाय। इस उद्देश्य के लिए न्यायालय ने भरोसा किया कि

राष्ट्रमंडल में लॉर्ड पोर्टर की टिप्पणियों के बाद

ऑस्ट्रेलिया बनाम. बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स; 1950 एसी 235: (1949) 2

ए. आई. आई. ई. आर. 755:

" फिर भी इस बारे में, इस क्षेत्र में हर अन्य प्रस्ताव के बारे में, ए

आरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभुओं का इरादा नहीं है

यह निर्धारित करें कि किसी भी परिस्थिति में इसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता है

प्रतिस्पर्धा ताकि किसी राज्य में एकाधिकार पैदा किया जा सके या

राष्ट्रमंडल एजेंसी, या किसी अन्य निकाय में, उचित ठहराया जाए।

प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और उसकी अपनी स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए।

समय की "।

कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार है और इस तरह एकाधिकार है बनाया जाता है।

(जोर दिया गया)

22. मैं मनिंदरजीत मामले में इस अदालत के फैसले का भी उल्लेख कर सकता हूं।

सिंह बिट्टा बनाम। भारत संघ और अन्य ने 2005 (1) एस. सी. सी. 679 में रिपोर्ट की। इस मामले में निस्संदेह नियम में प्रावधान किया गया है कि संबंधित प्रकृति का केवल एक ही लाइसेंस होगा। हालांकि, लाइसेंस के अधिकार का निपटारा ई-टेंडर के माध्यम से किया गया था। यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला था

जो अन्यथा ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र है। निस्संदेह राज्य की कार्रवाई की निष्पक्षता और मनमानेपन के खिलाफ वर्जना की गारंटी होनी चाहिए। शराब के व्यापार की अनुमति देने का निर्णय लेने के बाद राज्य को कार्रवाई के बारे में सूचित करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस नियम की शुरुआत मुख्य रूप से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए की गई थी। राज्य का मामला यह है कि इस नियम की शुरुआत ने राजस्व के माध्यम से अधिक राशि का संग्रह करने में सक्षम बनाया है। इसे पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार नहीं कहा जा सकता है। इन मामलों में बहुत दूर जाने पर अदालत को नीति के सामान्य रूप से निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ सकता है।

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी हाल की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है

केरल बार होटल्स एसोसिएशन और एक अन्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। केरल राज्य और अन्य एआईआर 2016 एससी 163। वास्तव में, एक अपीलार्थियों का तर्क था कि राज्य के पास 3 विकल्प थे। पहला निषेध है, दूसरा निर्माण या व्यापार में राज्य का एकाधिकार है और तीसरा निजी खिलाड़ियों को व्यवसाय में अनुमति देना था जिसमें हर किसी को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार फैसला सुनायाः

" 24. हम उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों से असहमत हैं कि

शराब के व्यापार का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह अतिरिक्त है।

वाणिज्य. श्री द्वारा सामने रखी गई खोडे की व्याख्या।

सुंदरम, हमारी राय में, अधिक स्वीकार्य है। अनुच्छेद के तहत अधिकार

19 (1) (छ) शराब के व्यापार का अस्तित्व है बशर्ते राज्य अनुमति दे।

इस व्यवसाय को करने वाला कोई भी व्यक्ति। यह आगे योग्य है।

अपीलार्थियों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं। न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिला

कृष्ण कुमार नरूला बनाम में संविधान पीठ। जम्मू राज्य और कश्मीर ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 1368 ने यह विचार रखा कि शराब का कारोबार एक वैध व्यवसाय है, हालांकि राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालाँकि अदालत ने नोट किया कि खोडे के मामले (उपरोक्त) में, रेज़ एक्स्ट्रा कॉमर्सियस की अवधारणा पीने योग्य शराब के निर्माण और व्यापार के व्यवसाय पर लागू होने लगी।

मैं केरल बार होटल्स के पैराग्राफ 27 पर भी ध्यान दे सकता हूं।

एसोसिएशन मामला (ऊपर) जो नीचे दिया गया हैः

" 27. अब हम अनुच्छेद 19 पर आधारित तर्कों की ओर बढ़ते हैं।

संविधान। हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यवसाय पीने योग्य है।

शराब रेज़ एक्स्ट्रा कॉमर्सियम की प्रकृति में है और इसलिए होगी किसी भी अन्य व्यापार की तुलना में अधिक कठोर प्रतिबंधों के अधीन होना या

व्यवसाय। इस प्रकार जबकि अनुच्छेद 19 (1) (जी) का आधार उठाया जा सकता है,

अनुच्छेद 14 के संबंध में चर्चा की गई दलीलों के आलोक में, यह यह नहीं कहा जा सकता है कि उस अधिकार की योग्यता अनुचित है।

(जोर दिया गया)

24. मैं इस मामले के तथ्यों में एक आयाम की दृष्टि नहीं छोड़ूंगा।

इस संबंध में। अपीलार्थी कम्पनियों का एक संघ है।

अनुच्छेद 19 भारत की अंतर्राष्ट्रीय आत्माएँ और वाइन संगठन v. हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

विभिन्न मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत, ये स्वतंत्रताएँ गैर-नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19 नागरिकों तक ही सीमित है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक कंपनी यद्यपि एक न्यायिक व्यक्ति लेकिन एक स्वाभाविक व्यक्ति नहीं होने के नाते अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर एक नागरिक नहीं है। रिट याचिका किसी भी नागरिक शेयरधारक के साथ शामिल हुए बिना दायर की जाती है। मेरा यह भी विचार है कि इसलिए अनुच्छेद 19 पर निर्भरता अच्छी नहीं हो सकती है।

25. नीति की न्यायिक समीक्षा केवल तभी उचित है जब नीति मनमाना या अनुचित या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हो। अदालतों से नफरत होनी चाहिए

राज्य नीति के मूल्यांकन में उद्यम। मैंने पैराग्राफ 25 में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान दिया है और केरल बार होटल केस सुप्रा के पैराग्राफ 27 में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया है। मैं यह भी देख सकता हूं कि जो प्रश्न वास्तव में विचार के लिए आया था वह एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स में था। मुझे नहीं लगता कि इस न्यायालय द्वारा दोनों में पहले लिया गया दृष्टिकोण कूवरजी बी. भरुचा बनाम। आबकारी आयुक्त और

मुख्य आयुक्त, अजमेर और अन्य 1954 ए. आई. आर. एस. सी. 220 और खोडेस के मामले (ऊपर) को एकाधिकार में न आने वाले विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने के अधिकार को खोलने के प्रभाव के संबंध में ओवरराइड नहीं किया गया है।

26. अपीलार्थी की तीसरी शिकायत यह है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकाधिकारवादी स्थिति की धारणा मनमाने ढंग से और अनुचित व्यवहार जो अपीलार्थी के सदस्यों को निवारण के बिना छोड़ देंगे। यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से यह तर्क देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया है कि जब तक वह शर्तों और कानून की पुष्टि करता है, तब तक लाइसेंसधारी एक स्वतंत्र एजेंट है और न्यायिक प्रक्रिया की संभावना को बंद कर देता है।

समीक्षा करें। उच्च न्यायालय ने यही पाया हैः

" 32. नीति के भीतर कुछ सुरक्षा उपाय हो सकते हैं जो अपस्ट्रीम लाइसेंस जैसे निर्माताओं के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम लाइसेंस यानी खरीदारों, जैसे खुदरा विक्रेताओं और बार, क्लब और रेस्तरां के लिए लाइसेंस धारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एकल थोक विक्रेता उन पक्षों को चुन सकता है और चुन सकता है जिनसे वह निपटना चाहता है और वास्तव में, उन लोगों के साथ सौदा करने से इनकार कर सकता है जिनसे वह निपटना नहीं चाहता है।

विभिन्न रणनीतियाँ। ऐसा करने में, एकमात्र थोक विक्रेता दूसरों की तुलना में किसी विशेष ब्रांड या ब्रांड को प्रभावी ढंग से बढ़ावा और प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह किसी विशेष विक्रेता या विशेष ब्रांड के व्यापारी को विभिन्न भुगतान सुविधाएं [2019] 3 एस. सी. आर. प्रदान कर सकता है।

और दूसरों या अन्य लोगों को ऐसा न दें जो कुछ मामलों में सौदा करते हैं। अन्य ब्रांड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सके। सवाल यह है कि क्या इससे एकल थोक विक्रेता की नियुक्ति अवैध हो जाएगी।

33. हम मानेंगे कि राज्य को शराब के व्यापार और व्यवसाय में भी निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। हम यह मानेंगे कि शराब के लाइसेंस और परमिट देने में राज्य एक पिक एंड चॉइस नीति नहीं अपना सकता है और उन सभी के लिए मैदान खुला रखना चाहिए जो अन्यथा पात्र हैं। वर्तमान उत्पाद शुल्क नीति में, राज्य ने प्रत्येक पात्र पक्ष को बोली लगाने की अनुमति दी है। इसने किसी भी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में भेदभाव नहीं किया है। थोक विक्रेता की नियुक्ति के लिए आवश्यक मानदंड बोली का मूल्य है।

34. इस आधार पर नीति और नियम को चुनौती कि एल-1 बीएफ लाइसेंस के संबंध में एकल थोक विक्रेता की नियुक्ति उन लोगों के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिनके साथ वह व्यवहार करता है या जिन्हें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि कुछ विक्रेताओं और निर्माताओं के वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे, जितना कि एकमात्र थोक विक्रेता के पास यह विकल्प होगा कि वह किसके साथ सौदा करेगा। एकमात्र थोक विक्रेता भी कुछ विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का हकदार होगा। हालाँकि, यह नीति को अवैध नहीं बनाएगा। एक निजी पक्ष को किसी भी व्यक्ति या उद्यम के साथ सौदा करने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों के अभाव में राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। हम मान लेंगे कि जहां तक शराब के व्यापार और व्यवसाय का संबंध है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि, एक बार जब कोई मामला राज्य के नियंत्रण या राज्य के उपकरणों से निजी उद्यमों के हाथों में चला जाता है, तो राज्य और उसके उपकरणों पर लागू प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। नीलामियों और निविदाओं में हमेशा ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां राज्य एक इमारत या इमारतों के समूह का निर्माण करने का निर्णय लेता है। यह.

किससे निपटना है। किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में, राज्य प्रत्येक पक्ष के दावे पर विचार करने के लिए बाध्य होगा जो अन्यथा कार्य करने के लिए पात्र।

हालाँकि, एक बार भारत की अंतर्राष्ट्रीय आत्माएँ और वाइन एसोसिएशन V. हरियाणा राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

राज्य एक भवन के निर्माण के अपने अधिकारों के साथ भाग लेता है और इसे एक निजी उद्यम को सौंप देता है, मामला वहां समाप्त हो जाता है क्योंकि यह उस काम से संबंधित है जिसे उसने निजी पक्ष को अनुबंधित किया है। ठेकेदार निर्माण में शामिल प्रत्येक वस्तु के संबंध में निविदाएं बुलाने के लिए बाध्य नहीं है। ठेकेदार भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रत्येक पक्ष के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठेकेदार को ऐसे पक्षों से सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जो वह चाहता है और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो ठेकेदार चाहता है। सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को ठेकेदार को सामग्री की आपूर्ति करने का अवसर देने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं होगा। खेल के नियम जो किसी राज्य या राज्य के किसी उपकरण पर लागू होते हैं

ऐसे ठेकेदारों पर लागू न हों।

27. इस मामले में, वास्तव में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि

यह दिखाएगा कि लाइसेंसधारी वास्तव में अनुचित तरीके से काम कर रहा है। यह अपीलार्थी का मामला है कि एकमात्र अनुज्ञप्तिधारी कम से कम तीन तरीकों से अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि यह संभव है कि लाइसेंसधारी दूसरों की तुलना में कुछ ब्रांडों को पसंद करता है क्योंकि यह बातचीत, लंबी ऋण अवधि और अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित है। बी. आई. ओ. आपूर्तिकर्ता लाइसेंसधारी की दया पर होंगे और उनके पास लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरा, यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां हरियाणा राज्य में एक विशेष ब्रांड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह आगे है तर्क दिया कि लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त एकाधिकारवादी स्थिति को देखते हुए यह लाइसेंस द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई अनुचित बातचीत की स्थिति के कारण दूसरों पर कुछ ब्रांडों को बढ़ावा देने का विकल्प चुन सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है कि अन्य हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाए। हालांकि शर्तों में कहा गया है कि लाइसेंसधारक को मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति करनी होगी, लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा वास्तविक मांग का पता लगाया जा सके। यह आगे बताया गया है कि यह लाइसेंसधारी के लिए खुला है कि वह उन खुदरा विक्रेताओं को छूट प्रदान करे जिन्हें वह पसंद करना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य से संबंधित शर्त को बेअसर कर दिया जाता है। एकमात्र लाइसेंसधारी द्वारा खरीदारों के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं पर भी भारी शर्तें रखी जा सकती हैं।

नियंत्रण और संतुलन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

निस्संदेह 'राज्य' अभिव्यक्ति में राज्य की एक साधनता भी शामिल होगी क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकरण' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। वह मामला जिससे संबंधित अधिकारी अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं, इस न्यायालय के कई फैसलों का विषय रहा है। सिद्धांतों को पर्याप्त स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है और मुझे ऐसा करने का कोई अवसर या कोई कारण नहीं दिखता है। उसी पर अधिक ध्यान दें क्योंकि अपीलार्थी के पास यह मामला भी नहीं है कि लाइसेंसधारी राज्य के भीतर एक साधन होगा

संविधान के अनुच्छेद 12 का अर्थ। यह एक सामान्य कानून है कि किसी निकाय को अनुच्छेद 12 के भीतर लाने का प्रयास विशेष रूप से अभिवचनों में उत्पन्न होना चाहिए।

29. इस मुद्दे पर इस मामले में दलीलें इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं।

30. अपीलार्थी इंगित करेगा कि वास्तव में, नई व्यवस्था लागू होने के बाद, 5 सितारा होटलों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था

अपीलार्थी के सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे बी. आई. ओ. उत्पादों के स्टॉक। इसके अलावा यह बताया गया है कि 2017 में लाइसेंस दिए जाने के तुरंत बाद, अपीलार्थी के सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए गए बी. आई. ओ. उत्पादों की बिक्री में अचानक गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण एकमात्र लाइसेंसधारी के दरवाजे पर रखने की कोशिश की जाती है। अपीलार्थी ने बताया है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बी. आई. ओ. ब्रांडों की आपूर्ति में अचानक 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।

पड़ोसी राज्यों राजस्थान और दिल्ली में पेरनोड रिकार्ड के उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31. मैं देखूंगा कि अपीलार्थी की कई दलीलें आशंकाओं के रूप में हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। में।

वास्तव में, उत्तरदाताओं के लिए एक मामला है कि इस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के तहत ब्रांड के अनुमोदन के समय प्रत्येक ब्रांड का मूल्य प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। विभाग मंजूरी देने के लिए बाध्य है

विभिन्न तत्वों में अधिकतम बिक्री मूल्य फैक्टरिंग। लाइसेंसधारक को अन्य बातों के अलावा, उतरने की कीमत, खर्च, लाभ का उल्लेख करना चाहिए।

मार्जिन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय आत्माओं और वाइन एसोसिएशन की प्रचलित दरों के आधार पर भी कीमत निर्धारित की जाती है।

32. इसके अलावा, विशिष्ट लाइसेंसधारी को सभी ब्रांडों का पर्याप्त स्टॉक रखने की शर्त है जैसा कि खरीद करने वाले लाइसेंसधारियों द्वारा मांग की जाती है और ऐसे सभी ब्रांड जो 2016-17 में विभाग के साथ पंजीकृत थे। इस प्रकार निर्मित सुरक्षा उपायों में कम से कम दो प्रतिबंध मौजूद हैं जो अनन्य लाइसेंसधारी के खिलाफ काम करते हैं। लाइसेंसधारी खरीद लाइसेंसधारियों द्वारा मांगे गए सभी ब्रांडों का पर्याप्त संख्या में भंडार रखने के लिए बाध्य है। इस मामले में, अपीलार्थी के सदस्य 'खरीद लाइसेंसधारी' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, अधिकतम मूल्य का एक विनियमन है जिसकी विशेष लाइसेंसधारी मांग कर सकता है क्योंकि मूल्य राज्य द्वारा ही तय किया जाना है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या होगा यदि विशेष लाइसेंसधारी स्वयं भी खुदरा दुकानों का संचालन करता है और वह कुछ ब्रांडों को बढ़ावा देता है और/या दूसरों में व्यापार को कम करता है। सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि आम तौर पर इस सिद्धांत पर कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के हित में कार्य करेगा, लाइसेंसधारी के लिए अधिक बिक्री के आधार पर उच्च कारोबार की आय से खुद को इनकार करने का कोई कारण नहीं होगा क्योंकि कुछ ब्रांडों की बिक्री को कम करने की कोशिश करने से लाइसेंसधारी को ही नुकसान होगा। हालांकि मैं यह मान लेता हूं कि वह ऐसी स्थिति में है जहां हितों का टकराव है और कुछ ब्रांडों की बिक्री को दबाने और अन्य ब्रांडों की बिक्री की अनुमति देने से विशेष लाइसेंसधारी को अधिक लाभप्रद स्थिति में रखा जाता है, और इसलिए, वह इसे पसंद करता है। मुझे खुद को याद दिलाना चाहिए कि अलग-अलग कंपनी की शिकायत यह होगी कि वह जिस ब्रांड को आयात और सौदा करना चाहती है, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। काफी स्पष्ट रूप से यदि ऐसी कोई ठोस घटना है जिसका उल्लेख किया गया है, तो यह लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन होगा। निश्चित रूप से यह अधिकारियों को उचित मामलों में लाइसेंस रद्द करने सहित कानून में उपलब्ध उचित कार्रवाई करने का अधिकार देगा। यदि ऐसे प्रावधान पहले से नहीं हैं तो मेरा मानना है कि राज्य उपयुक्त प्रावधान तैयार कर सकता है ताकि एक व्यक्ति जो राज्य के लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करता है, वह ऐसा न करे जो संविधान के तहत राज्य को करने से वर्जित किया जाएगा। मुझे यह भी याद दिलाना चाहिए कि इसके साथ ही, राज्य को नई व्यवस्था द्वारा राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है। राज्य की शक्ति

आर्थिक मामलों में प्रयोग न्यायालय के हाथों अमान्य नहीं होगा। इस तरह की शक्ति केवल संविधान और कानूनों की अवहेलना करने वाली राज्य की कार्रवाई पर आधारित होनी चाहिए। हालाँकि, राज्य को एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा वह उपयुक्त 272 प्रदान कर सके।

एक सुरक्षा उपाय ताकि अनन्य लाइसेंसधारी द्वारा उचित व्यवहार हो। उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन मैं बिना किसी आदेश के अपील को खारिज कर दूंगा लागतें।

निधि जैन